राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भैरुराम बनाम मालीराम 763/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/03/2026 को पेश हो।	
19/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख. न. 77 रकबा 1.28 है. किस्स बारानी 2 एवं ख.नं. 78/296 रकबा 0.07 है. किस्म गै.मु. रास्ता किता 2 कुल रकबा 1.35 है. वाके ग्राम हरदतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर वादी व प्रतिवादी सं. 1 मालीराम के पिता हनुमान पुत्र स्व. मंगला कुम्हार के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजीयात पर अपने पिता हनुमान के जीवन काल में उनके साथ और दिनांक 14.11.2005 को पिता के स्वर्गवास की दिनांक से वादी व प्रतिवादी सं. 1 शामिल में काश्त करते व लगान अदा करते आए हैं। वादग्रस्त आराजीयात के दक्षिण में प्रतिवादी सं. 3 सुरेश सैनी रिहायसी भू-खण्ड मार्क कर रहा है, जिससे डिमार्केशन की आड में विवादित आराजीयात के दक्षिणी हिस्से में अतिक्रमण करना चाहा, जिस कारण वादी ने दिवादित आराजीयात की दक्षिणी सींव पर पूर्व - पश्चिम संलग्न नक्शे में मार्क डी से सी बाउन्ड्री की दीवार निर्माण करवाई है। प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 13 एक गिरोह है जो वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दे रहा है जिस कारण वादी के लिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के अन्त में वादी ने ईस्तदुआ चाही गयी कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करते हुए वादी को विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से की 0.6750 है. आराजी का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी व प्रतिवादी सं. 1 में वास्तव में बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि अलग करवा कर प्रतिवादी सं. 2 से सीमाएं व लगान निर्धारित करवा कर वादी को कब्जा दिलावें और रिकार्ड में खातेदार दर्ज करवाया जावे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 लगायत 13 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करें कि वे वादी के हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 की और से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी ने वाद को मनगढंत आधार पर नक्शा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भैरुराम बनाम मालीराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	763/2018	

बनाकर पेश किया है जिसका कोई कानूनी आधार उन्हें नहीं है। वादी का भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी ने केवल मिन उत्तरदाता हैरान परेशान करने के लिए दावा पेश किया है जो उत्तरदाता के खिलाफ खारिज फरमाया जाये। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर उसमे अंकित किया गया है कि प्रतिवादी स. 4 ने भूमि में हिस्सा 1/2 संपूर्ण प्रतिवादी सं. 1 मालीराम पुत्र हनुमान से क्रय किया है एवं प्रतिवादी सं. 4 के हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करंता आ रहा है। अतः वादी का वादपत्र मय हर्जे खर्च सहित खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 13/03/2018 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो.की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का सरसरी तौर पर खारिज करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये उनका निस्तारण करने के उपरान्त प्रकरण को गुणावगुण पर विवेचित करते हुये निर्णय/डिक्री पारित किये जाने आवश्यक थे किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/03/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करने के उपरान्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना में अग्रिम कार्यवाही करते हुये निर्णय व डिक्री पुनः पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।